जिला संस्थागत वित्त विभाग

खण्डवा

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

जिला संस्थागत वित्त विभाग, खण्डवा (म.प्र.)

जिला संस्थागत वित्त विभाग खण्डवा का

संगठनात्मक ढ़ांचा (स्वीकृत पद)

जिला संस्थागत वित्त अधिकारी

क्षैत्रिय

निम्न श्रेणी लिपिक (पद रिक्त)

भृत्य (पद रिक्त)

योजना शाखा

लेखा

स्थापना

आवक / जावक

जिला संस्थागत वित्त विभाग खण्डवा के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ. क्र.	विवरण	कार्य
1.	जिला संस्थागत वित्त वित्त अधिकारी के कार्य	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी एवं क्षेत्रिय सहायक द्वारा लोगों में भ्रमण कर राष्ट्रीय बचत योजनाओं की जानकारी प्रदत्त करना एवं छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से बड़ी राशि एकत्रित करना । प्रचार–प्रसार कर लक्ष्य पूर्ति का प्रयास करना होता है ।
2.	एजेसियों का वितरण	अल्प बचत विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को एस.एस.एस./आर.डी./ पी.पी.एफ./ एजेंसी, प्रदाय करना ताकि उनके द्वारा विनियोजि कराई गई धन राशि पर क्रमशः 1 प्रतिशित एवं 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत राशि पारिश्रमिक रूप से मिलती रहती है । ''भाग्योदय कूपन उपहार योजनाओं में अभिकर्ता को दिये गये कमीशन पर आधा प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन जिला स्तर पर दी जाती है।''
3.	सहायक वर्ग उनका कार्य भी स्वयं जिला संस्थागत वित्त अधि भी सम्पन्न कर रहे हैं ।	–आय व्यय का मासिक पत्रक तैयार करना । –सिटीजन चार्टर से संबधित मासिक पत्रक तैयार करना –शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध माह में कुल जमा राशि एंव शुद्ध जमा राशि का मासिक पत्रक तैयार कर तीनों पत्रक सिटीजन चार्टर एवं व्यय पत्रकों की जानकारी प्रेषित करना ।

प्रपत्र – 1

जिला संस्थागत वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, शक्तियों एवं कर्तव्यों तथा परिलब्धियॉ (वेतन आदि) संबंधी जानकारी

क्र.	पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शक्तियों एवं कर्तव्य	परिलब्धियॉ
1.	श्री एच.एल.माली	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	आहरण एवं संवितरण के अधिकार एवं कार्यालय प्रकरण के प्रमुख पूर्ण अधिकार जो शासन द्वारा कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त है । कलेक्टर महोदय द्वारा प्रदत्त सभी कार्य सम्पादन करना ।	28174.00

प्रपत्र 2 (क)

जिला संस्थागत वित्त विभाग में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया

(नस्ती प्रारंभ किए जाने से लेकर अन्तिम निर्णय तक) उसे फ्लोर्चाट (रेखाचित्र) की सहायता से

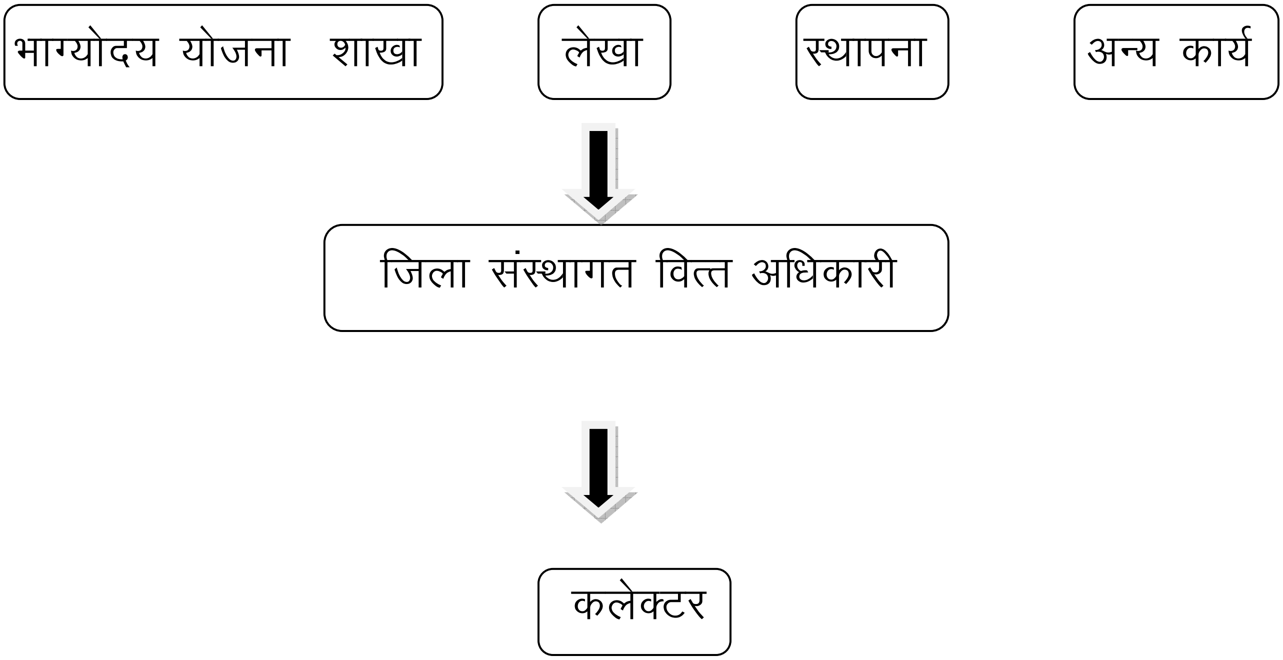

प्रपत्र 2 (ख)

निगरानी / पर्यवेक्षण की व्यवस्था

कार्यालय में निगरानी एवं पर्यवेक्षण कार्यालय प्रमुख संस्थागत वित्त अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

प्रपत्र 2(ग)

जवाबदारी निर्धारण की व्यवस्था

कार्यालय की जवाबदेही का निर्धारण जिला संस्थागत वित्त अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

प्रपत्र –3

कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड

गुणवत्ता संबंधी मापदण्ड शासन स्तर से किया जाता है ।

प्रपत्र –4

कार्यकलापों एवं दायित्वों के निर्वहन में प्रयुक्त अधिनियम का संक्षिप्त विवरण

पोस्ट ऑफिस स्माल से विग्सं रूल्स अध्याय 6 के नियम 1 से 6 तक के अंतर्गत कार्यवाही का शिक्षित बेरोजगार युवक / युवतियों को एजेंसी प्रदान की जाती है ।

प्रपत्र 5

जिला संस्थागत वित्त विभाग में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची

कार्यालय सेसंचालित योजनाओं की नस्तियॉ संधारित की जाती है तथा लेखा पंजी / चेक नस्ती / रोकड़ पुस्तिका / अवकाश पंजी / आवक जावक पंजी/एजेंटों की पंजी/एजेंटों को दिए जाने वली अतिरिक्त कमीशन की पंजी /पुरूस्कार पंजी/संधारित की गई है ।

प्रपत्र 6

कार्यालय से संबंधित समिति जिनमें जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय विभागों के प्रतिनिधि से परामर्श प्राप्त कर क्रियान्वयन होता है ।

---निरंक---

प्रपत्र 7

जिला संस्थागत वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाली समिति के सदस्यों की सूची

--निरंक --

प्रपत्र–8

जिला संस्थागत विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

अ.क्र.	पदाधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता	दूरभाष नं.
1.	श्री एच. एल. माली	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी संस्थागत वित्त	49/5 पी. डब्लयू. डी. कॉलोनी ,सिविल लाईन्स,	98261.05446 2222329 2226666 खंडवा

प्रपत्र–9

जिला संस्थागत वित्त विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

अ क .	पदाधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक उपलब्धि मंहगा भत्ता	गृहभाड़ा	मेडिकल भत्ता	योग	वेतनमान
1.	श्री एच. एल. माली	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	28174	–	–	–	9300–3600–34800

अल्प बचत योजनाओं की जानकारी

प्रपत्र–10

अ. क्र.	कार्यक्रम का नाम	अल्पबचत योजनाऐं	वर्ष 2010 –11 का लक्ष्य	उपलब्धि
1	अल्पबचत योजनाऐं	अल्पबचत योजनाऐं जिनमें डाकघर में राशि जमा की जाती है जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।	55 करोड़ कुल जमा 2364212036 शुद्ध जमा (+) 388420849 वर्ष 2011–12 लक्ष्य रू. – निरंक (डी) 49.89.74596/– शुद्ध जमा 38417121/–	70.62 प्रतिशत निरंक

अ.क्र.	विवरण	कार्य
1.	5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता	परिपक्वता पर रूपये 10 के खातें में रूपये 728.90 मिलते है न्यूनतम रूपये 10 अथवा रूपये 5 के गुणांको में अधिकतम सीमा नहीं । 1 साल के बाद जमा की राशि 50 प्रतिशत तक राशि सिर्फ एक बार निकाली जा सकती है खाता, खोलने की तारीख से 3 वर्ष बाद परिपक्वता से पूर्व बंद किया जा सकता है।
2.	डाकघर सावधि जमा खाता	वार्षिक आधार पर ब्याज दिया जाता है परन्तु इसकी गणना तिमाही आधार पर होगी । अवधि 1 वर्षीय खाता 6.25 प्रतिशत दर, 2 वर्षीय खाता 6.5 प्रतिशत दर, 3 वर्षीय खाता 7.25 प्रति. दर। न्यूनतम रूपये 50 अधिकतम कोई सीमा नहीं। जमा की गई राशि संपत्ति कर से भी मुक्त है कोई भी व्यक्ति, न्यास रेजिमेन्टल फण्ड और कल्याणकारी फण्ड के लिये खाता खोल सकता है।

अ. क्र.	विवरण	कार्य
3.	डाकघर मासिक आय योजना	8 प्रति. वार्षिक ब्याज की दर से 12000 रूपये जमा राशि पर प्रतिमाह रूपये 80 दिये जाते है। इसके अलावा 5प्रति. दर रूपये 600 बोनस के रूप में 6साल बाद दिये जाते हैं परिपक्वता अवधि 6वर्ष है एक वर्ष बाद भी खाता बंद किया जा सकता है परन्तु उसमें 2 प्रति. की दर से कटौती की जाएगी । यदि खाता खुलने के तीन वर्ष बाद खाता बंद किया जाता है तो 1प्रतिशत कटौती नहीं की जाएगी । अधिकतम 4.50हजार तथा संयुक्त खाते में रू. नौ लाख जमा कर सकते हैं
4.	6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम)	चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही के हिसाब से परिपक्वता पर देय है रूपये 1,000 के रूपये 1601 होते है न्यूनतम रूपये 100 अधिकतम सीमा नहीं रूपये 100, रूपये 500, रूपये 1,000 रूपये 5,000 और रूपये 10,000 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध जमा राशि आयकर की धारा 80 सी के अर्न्तगत छूट के योग्य है। न्यास द्वारा भी खरीदा जा सकता है।

5.	15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता	1 मार्च 2003 सेब्याज दर 8% वार्षिक आधार पर गणनीय न्यूनतम रूपये 500/– अधिकतम रूपये 70,000 एक वित्तीय वर्ष में राशि एक मुश्त या 12 किश्तों में जमा की जा सकती है । जमा राशि आयकर की धारा 80 सी के अनुसार आयकर छूट के योग्य है । जमा राशि पूर्णतः संपदा कर से मुक्त है । निधि में प्रदत्त ब्याज वर्तमान आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है । खाते को किसी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता है । 15 वर्षो बाद खाता 5–5 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाने की सुविधा।
6.	किसान विकास पत्र	राशि 8 वर्ष 7 माह में दुगनी। 2½ वर्ष बाद परिपक्वता पूर्व भुनाया जा सकता है। रूपये 1000 के 2½ वर्ष बाद रूपये 1170=51। तीन साल बाद रूपये 1207=95, 3½ साल बाद रूपये 1267=19, 4 साल बाद रूपये 1310=80. 4½ साल बाद रूपये 1355=90। 5 साल बाद रूपये 1435=63 पांच साल 6 माह बाद रूपये 1488=49। 6 साल बाद रूपये 1543=30 6½ साल बाद 1649=13। सात या अधिक किंतु सात

		साल आठ माह से कम 1713=82। आठ वर्ष छः माह या इससे अधिक किन्तु आठ वर्ष से कम 1781=06 आठ वर्ष या इससे अधिक किन्तु आठ वर्ष सात माह से कम 1850=93 न्यास द्वाारा भी खरीदा जा सकता है।
7.	वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम	60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग का कोई भी वरिष्ठ नागरिक रूपये 1000 के गुणकों में पन्द्रह लाख रूपये तक केवल एक बार जमा कर सकता है । जिस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज। निवेशकर्ता को ब्याज 31मार्च ,30जुन ,30सितम्बर और 31दिसम्बर को देय होगा। खाता खालने के लिये आयु का सबूत देना होगा खाता पति अथवा पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोल सकते हैं यदि किसी भी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति स्कीम या किसी विशेष स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति ली गई है एंव वह व्यक्ति 55वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम की आयु वर्ग का हो तो भी इस शर्त के अधीन रहते हुए वे सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति तथ्य प्रस्तुत करते हुए उन लाभों के जमा हेतु खाता खोल सकते है

प्रपत्र–11

नियमों के अंतर्गत छूट या परमिट का कोई प्रावधान इस कार्यालय में नहीं है यादि ऐसी सुविधा प्राप्त होती है। आम नागरिकों को इसकी सुविधा दी जावेगी।

–:: निरंक ::–

प्रपत्र 12

जिला संस्थागत वित्त विभाग में इलेक्ट्ानिक फार्म में कोई जानकारी अभी नहीं रखी गई है । आगे इसके प्रयास किए जावेंगे

–:: निरंक ::–

प्रपत्र–13

आम नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय से लोक सूचना अधिकारी एंव सहायक लोक सूचना अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकेगा।

प्रपत्र 14

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

अ. क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष	ई–मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1.	लोक सूचना अधिकारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर / अन्य अधिकारी जिला संस्थागत वित्त कार्यालय कलेक्टर	प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	2226666	–	कलेक्टर कार्यालय खण्डवा	सोमवार 4 से 5बजे
2.	सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री एच.एल.माली	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी		–	कलेक्टर कार्यालय खंडवा	बुधवार 11 से 1बजे एंव 4 से 5बजे

प्रपत्र–15

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक जानकारी जिल संस्थागत वित्त विभाग खण्डवा द्वार नियुक्त लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी से विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सकेगा । आवेदन पत्र की रसीद प्रदान क जावेगी ,आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपी का निर्धारित शुल्क जमा करवान होगा।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना /अभिलेखों की प्रति से इन्कार किया जा सकता है। जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

जिला संस्थागत वित्त अधिकारी
पूर्व निमाड़ ,खण्डवा